

ATLAS JEWELLERY INDIA LIMITED

Regd. Off.: DTJ-719, 7th Floor, DLF Tower "B", Plot No.11, Jasola District, New Delhi-110025 E-mail: info@atlasjewelleryindia.com, Phone: 011- 40541077/ 41041149, Telefax: 011-40541077 Web.: www.atlasjewelleryindia.com CIN: L74140DL1989PLC131289

Date: December 14, 2017

To.

BSE Limited

Corporate Relation Department

Phiroze Jeejeebhoy Towers **Dalal Street**

Mumbai- 400001

Delhi Stock Exchange

Limited

Mr. P.K Mishra

3/1, Asaf Ali Road

New Delhi - 110002

To.

Ahmedabad Stock **Exchange Limited**

The Manager Head Listing & Compliance Listing Department

> Opp. Sahajanand College, Panjrapole

Ahmedabad - 380015 (Gujarat)

Kamdhenu Complex

Jaipur Stock Exchange

Limited

The Manager

Listing Department Stock Exchange Building

JLN Marg, Malviya

Nagar

Jaipur - 302017 (Rajasthan)

Subject: Newspaper publication of Un-audited Financial Results for second quarter and half year ended 30th September, 2017 pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Scrip Code: 514394

Dear Sir.

This is to inform you that pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015, Un-audited Financial results for second quarter and half year ended 30th September, 2017 have been published in English daily and regional newspaper. Please find enclosed the newspaper cuttings of the same.

Please take the information in your records.

Thanking You,

For ATLAS Jewellery India Limited

(Chandan Mahapatra)

Company Secretary & CFO

Encl: As Above



The spike in international oil prices is due to some pipeline turbulence in Europe and winter demand. Today, price is under control in India. The government is very concerned about middle class and poor man.

—PETROLEUM MINISTER **DHARMENDRA PRADHAN**



We will come out with our recommendations on allowing in-flight connectivity by **December-end. The broad point** is that in-flight connectivity shall be allowed.

—TRAI CHAIRMAN RS SHARMA



Depositors' money in banks is safe: Modi

llaying fears of depositors in their bank accounts, Prime Minister Narendra Modi on Wednesday said that deposits in banks would be safe and their interests would not be harmed in any way. Modi further said that banks were pressured to give loans worth thousands of crores of rupees to select industrialists in a scam bigger than 2G, coal and Commonwealth Games

The Prime Minister's statement comes at a time when rumours in the social media are being spread about the misuse of depositors' money after the Financial Resolution and Deposit Insurance (FRDI) Bill comes into effect by the Government

Addressing an august gathering of industry leaders, Modi however clarified that the government is trying to strengthen the banking system by policy initiatives and dismissed the rumours being spread by some sections about provisions of the proposed FRDI Bill under which the depositors would suffer.

"The Government is trying to strengthen the banking system by policy initiatives on a daily basis. But on social media rumours are being spread about the FRDI Bill, which is completely opposite to the reality. We are trying to protect the depositors interest and the banks as well," Modi said while address-



'Govt is trying to strengthen the banking system by policy initiatives on a daily basis, but on social media rumours are being spread'

ing FICCI's AGM here.

Appreciating his Government's efforts, he further said, "I would like to congratulate the FICCI for its 90 years of operation. Ninety years ago, along with normal duties and responsibilities, national duties and responsibilities were carried out and we are doing so now."

Talking about small businesses, Modi said that his Government is giving a boost to start-ups. "In the last three years, because of our decisions, there has been a lot of advancement in these areas. In the last government, large businesses were given huge loans by putting pressure on the banks," he said.

Listing out Government's pro-poor policies, Modi said free cooking gas connections have been given to bank accounts have been opened as part of financial inclusion; over ₹4 lakh crore guarantee-less loans have been given to about 9.75 lakh youth for business; 5 crore toilets built and affordable housing for rural poor launched.

"My Government is ending this fight with the system. It is not only transparent, but also sensitive. So, when we started the 'Jan Dhan Yojana', we got such a great response. At the time of starting it, we didn't know how many accounts we would have to open. There was no such data. We just knew that the poor were turned away. Now, with 30 crore accounts being opened, we have an idea of what a change this has created," he added.

This Government is framing policies keeping the needs of the youth in mind. In the last three years, 87 reforms in 21 sectors have been undertaken to overhaul the economy, he said.

The industry, he said, had been long demanding Goods and Services Tax (GST) and the BJP-led Government implemented it and introduced measures like anti-profiteering to see that businesses pass on the benefit of lower taxes to the people.

"As the Government makes efforts to ensure maximum businesses register for GST, the more formal the system becomes, the more it will benefit the poor," he added.

I-T conducts surveys of Bitcoin exchanges



A fter Reserve Bank of India's precautionary remarks on Bitcoins, the Income Tax Department on Wednesday conducted survey operations at major Bitcoin exchanges across the country on suspicion of alleged tax evasion, official sources said.

They said various teams of the sleuths of the department, under the command of the Bengaluru investigation wing, on Wednesday visited the premises of nine such exchanges in the country including in Delhi, Bengaluru, Hyderabad, Kochi and Gurugram, since early morning.

The survey, under section 133A of the Income Tax Act, is being conducted for "gathering evidence for establishing the identity of investors and traders, transaction undertaken by them, identity of counterparties related bank accounts used, among others," they said.

The survey teams, sources said, are armed with various financial data and inputs about the working of these exchanges and this is the first big action against them in the country.

Bitcoin, a virtual currency, is not regulated in the country and its circulation has been a S Korea bans banks, Fls from dealing in Bitcoin

SEOUL: South Korea on Wednesday banned its financial institutions from dealing in virtual currencies such as Bitcoin, as the cryptocurrency soars in a bubble fuelled by retail speculators, many of them from the country. The hyperwired country has emerged as a hotbed for cryptocurrency trading, accounting for some 20 per cent of global Bitcoin transactions — about 10 times its share of the world economy.

About one million South Koreans, many of them smalltime investors, are estimated to own Bitcoins, and demand is so high that prices for the unit are around 20 percent higher than in the US, its biggest market. World Bitcoin prices have surged globally this year, soaring from less than \$1,000 in January to \$17,000 this week.

cause of concern among central bankers the world over for quite a while now.

The Reserve Bank of India has also cautioned users, holders and traders of virtual currencies, including bitcoins.

In March, the Union finance ministry had constituted an Inter-Disciplinary Committee to take stock of the present status of VCs both in India and globally and sug-gest measures for dealing with such currencies.

Sensing tax evasion, India's interests protected even if WTO Ministerial fails

T S VISHWANATH

The Ministerial Meeting of the World Trade Organization (WTO) at the Buenos Aires entered the final day on Wednesday with the possibility of countries not arriving at a consensus on a Ministerial Declaration that will provide direction to the future work programme of the WTO. However, the 164 member

countries continued their efforts to salvage the situation and find a face saving solution that helps WTO retain its position as a transparent and predictable rule making multilateral body for global trade.

With the United States of America going back on its position adopted at the earlier Ministerial at Bali to find a permanent solution to public stock holding for food security purposes, member countries, including India are looking at solutions that can help in providing a work programme for countries to continue deliberations at the WTO head quarters at Geneva, Switzerland.

While the possible inability of countries to reach a consensus on the issue of public stock holding has been a set back for the G-33 coalition of countries with defensive interests in agriculture that includes India, the current impasse will not have any immediate impact for the Government of India in providing any product specific support to staples like rice, wheat, etc. accordingto senior officials of the



Intellectual Property Rights and Convention on Bio Diversity are likely at WTO meet

government of India.

The foresight of the government to seek a decision at Geneva in 2014 to ensure that the Peace Clause agreed at Bali in 2013 will be available even after 2017, if a permanent solution is not adopted by then, provides the comfort to India that, for the present there will be no problem in providing market price support to staples, officials said. The support can be as high as 50 to 100 per cent as India is allowed to provide domestic support up to 10 per cent of the value of production of the concerned crop. At present the support on rice is as low as four percent and zero percent for wheat.

Within the next one year the government will also meet obligation set at Bali of complying with exiting and additional notification requirements that will allow the country to, if necessary, exceed its ceiling entitlement to provide product specific domestic support.

In the meetings on

eral other developing countries are seeking from the WTO is a decision at Buenos Aires that member countries will work to re-affirm the principles of the WTO and will continue to support the issue of the need for transparency and inclusiveness among the membership of WTO. India will also seek the reaffirmation of the continuation of the Doha work programme.

On the issue of a work programme on E-commerce, it is likely that member countries may come close to the demand from India to continue discussions in the same format as has been happening at WTO since the subject was brought into the multilateral forum for discussions. India is supported by South Africa and Uganda on this issue, besides several other developing countries.

Another issue that India is likely to bring to the table for a possible decision at Buenos Aires is a proposal on TRIPS (Trade related Intellectual Property Rights) and CBD (Convention on Bio Diversity). Under this proposal, India will look at non-violations in patent applications when traditional knowledge genetic resources are concerned. As per this proposal, an entity or individual applicant of any patent will have to provide details of any existing traditional knowledge that exists on the product that the entity or individual is seeking to patent. This will protect several products where traditional knowledge exists in India.

ATLAS JEWELLERY INDIA LIMITED CIN: L74140DL1989PLC131289

Reg. Off.: DTJ-719, 7th Floor, DLF Tower-B, Plot No: 11, Jasola, New Delhi-110025 Email: info@atlasjewelleryindia.com Phone: 011-41041149/ 40541077 Web: www.atlasjewelleryindia.com

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE SECOND QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2017 (Rs. in lacs except per share data

S. No.	Particulars	Quarter ended 30 th September, 2017 Un-Audited	Year to date Ended 30 th September, 2017 Un-Audited	Corresponding Quarter ended in the previous year 30 th September, 2016 Un-Audited
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	34.69	(104.59)	(352.39)
3,	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	8.01	(131.27)	(352.39)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	14.55	(151.01)	(337.00)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	14.55	(151.01)	(337.00)
6.	Equity Share Capital	10065.45	10065.45	10065.45
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	3-8	•3	798
8.	Earnings Per Share (face value of Rs. 10 each) (before and after extraordinary items) - 1. Basic: 2. Diluted:	0.01 0.01	(0.15)	(0.33)

Notes:

The above is an extract of the detailed format of Standalone Financial Results for the second quarter and half year ended 30 September, 2017 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange www.bseindia.com and company's website www.atlasjewelleryindia.com.

The above standalone Un-Audited Financial Results for the quarter and half year ended 30" September 2017 have bee reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at its meeting held on Tuesday, 12th December 2017. The financial results are prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (Ind AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards)

In accordance with the requirement of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015, the Statutory Auditors have performed review of the above Standalone Un-Audited Financial Results for the guarter and half year ended 30th September 2017.

The Ind AS compliant financial results, pertaining to the guarter and half year ended 30" September 2016 have not bee subject to limited review or audit. However, the management has exercised necessary due diligence to ensure that such financial results provide a true and fair view of its affairs.

The Statement does not include Ind AS compliant results for the previous year ended March 31", 2017 as the same is no mandatory as per SEBI's Circular dated-July 05, 2016.

There is a possibility that these quarterly financial results may require adjustments before the constituting the final Ind AS Financial Statements as of and for the year ended 31" March 2018 due to change in financial reporting requirements arising from new or revised standards interpretations issued by MCA or changes in the use of One or more optional exemptions from full retrospective application as permitted under Ind AS-101

The company has only one segment of revenue. The Auditors have made observation regarding non-recognition of expected credit loss on export trade receivables. The management is of the view that in light of the recovery suit filed by the Company against the trade receivables and further looking at the uncertainty regarding the time frame and quantum of realization from these trade receivables, the amount of expected credit loss required to be recognized cannot be estimated. The same shall be provided as and when the information

regarding quantum and time frame of realization from these export trade receivables is ascertained. The loans and advances pertain to Indorient Financial Services Limited and Camation Commodities Pvt Limited provided by the erstwhile GEE EL Woollens Limited (presently ATLAS Jewellery India Limited). The present management of the Company is taking all steps to recover these old loans/advances and has also issued notices to the erstwhile promoter/s and Board o Directors of GEE EL Woollens Limited in this regard. The management is hopeful of recovering these old dues and has issued notices to both the said parties. The Company is also contemplating filing legal suits/ taking other appropriate actions as it deems necessary for recovery

(10) The reconciliation statement of Net Profit/(Loss) as previously reported (referred to as GAAP) and the Total Comprehensiv

Particulars	Half Year Ended 30th Sept 2016
Profit after tax as per Indian GAAP	(360.38)
i) Impact of financial assets and liabilities at amortized cost	(0.22)
ii) Deferred tax on the above mentioned adjustments	0.07
Profit after tax as per Ind As	(360.53)
Other Comprehensive Income (Net of Tax)	(4)
Total Comprehensive Income as reported under Ind AS	(360.53)

Date: December 12, 2017

For ATLAS Jewellery India Ltd Nanda Kumaran Puthezhati DIN: 02547619

Bankers decide to refer 22-23 large NPA accounts to NCLT

MUMBAI: Unable to find any resolution on 28 stressed accounts from the second list. the lenders will be initiating oceedings agains 22-23 of these borrowers which include Uttam Galva Steel, IVRCL, Ruchi Soya Industries and Essar Projects, a banker said.

The Reserve Bank deadline to resolve these 28 accounts ended on Wednesday. The regulator in August had asked bankers to refer these cases to the National Company Law Tribunal (NCLT) if they failed to find a resolution by December 31.

These accounts together have an exposure of ₹1.4 lakh crore. "Except for Anrak Aluminium, Jayaswal Neco Industries, Soma Enterprises and Jaiprakash Associates, all other accounts are going to the NCLT for resolution," said a senior banker on Wednesday.

Banks have decided to refer Asian Color Coated Ispat, Castex Technologies, Coastal Projects, East Coast Energy, IVRCL, Orchid Pharma, SEL Manufacturing, Uttam Galva

BANKERS SAID NOTHING WORKED OUT IN TERMS OF DETERMINING THE SUSTAINABLE AND NON-SUSTAINABLE PARTS OF

THE DEBT IN MOST OF **ACCOUNTS**

Metallic, Uttam Galva Steel, Visa Steel, Essar Projects, Jai Balaji Industries, Monnet Power, Nagarjuna Oil Refinery, Ruchi Soya Industries and Wind World India, to NCLT for insolvency proceedings.

Lenders have already decided a restructuring plan for Jayawal Neco Industries and Soma Enterprise. In the case of Anrak Aluminium, banks are looking for a onetime settlement.

"ICICI Bank, which is the consortium leader for Jaiprakash Associates, is seeking a special dispensation from the RBI for not taking it to NCLT as it has already decided a deep restructuring scheme for the account," a banker said.

Govt. 🏙 of Bihar

REGD OFFICE: VIDYUT BHAWAN,BAILEY ROAD,PATNA

Contact No- 0612-2504487, 7763813954, Fax No- 0612-2504487

TINVAT No- 10011255025 CIN - U40102BR2012SGC018495

DEPARTMENT OF GENERAL ADMINISTRATION

BIHAR STATE POWER (HOLDING) COMPANY LIMITED

(A Government of Bihar Undertaking)

The lenders have also sought RBI's permission to extend the December 13 deadline for Videocon Industries, said another banker.

"If the RBI gives us some extension for Videocon Industries, then it is fine. Otherwise, it will also have to go to the NCLT," said the banker. The lenders had the

restructuring option under S4A (scheme for sustainable structuring of stressed assets), SDR (strategic debt restructuring) or 5/25 schemes till Wednesday for all the 28 accounts.

Bankers, however, said nothing worked out in terms of determining the sustainable and non-sustainable parts of the debt in most of accounts.

"We were also supposed to get mandatory rating from rating agency for these accounts. Who will give investment grade to these NPA accounts?" said a senior bank official from a state-run bank. Now banks will have to make a provision of 50 per cent on these accounts by March 2018. PTI

Market turns shaky on ADB growth forecast, macro fears

MUMBAI: A set of lacklustre economic data spoiled investor mood on Wednesday as benchmarks Sensex and Nifty gave in by surrendering all their early gains and ended

Participants got the chills as the Asian Development Bank (ADB) on Wednesday lowered India's economic growth forecast for 2017-18 to 6.7 per cent from 7 per cent, citing lingering effect of domonetisation, transitory challenges to GST and weather-related risks to agriculture.

Government macro data were not favourable either, which showed November consumer inflation jumped to a 15-month high of 4.88 per cent and October industrial production growth hit a 3-month low of 2.2 per cent.

Investors also looked forward to the Federal Reserve's

UNITECH DIVES 16% Unitech on Wednesday slipped more than 16 per cent after the Supreme Court staved NCLT

order allowing the Centre to take over the management of the embattled firm. The apex court on Wednesday stayed the December 8 order of the company law tribunal NCLT in this respect.

two-day policy meeting outcome later in the day.

The BSE index changed sides many a time, which settled down by 174.95 points, or 0.53 per cent, at 33,053.04 a level last seen on December 7. The previous day's loss was 228 points.

The 50-share NSE Nifty failed to hang on to 10,200 by falling 47.20 points, or 0.46 per cent, at 10,192.95 after hovering between 10,169.85 and 10,296.55.

EXH NO-17

MUMBAI DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-I (Govt. Of India, Ministry of Finance) 5th Floor, Scindia House, Opp. L & T House, Narottam Morarii Marq Ballard Estate, Mumbai-400 001.

TOA. 323 OF 2016 PUNJAB NATIONAL BANK ... Applicants

M/s. PISCES EXIM (INDIA) PVT. LTD & ORS Defendents SUMMONS

WHEREAS the applicant has instituted an applications U/S 19 of the Recovery of Debts due to Banks and financial Institutions Act, 1993 against you for the recovery of sum mentioned therein together with current and future interest and other reliefs. You are hereby summoned to appear and file written statement before this tribunal at 12.00 P.M. or at such time immediately thereafter according to the convenience

of tribunal on Next Date Extended upto 05-02-2018 to answer the claim. You are directed to collect the annexure on your appearance before the

If you intend to file any documents, you may file the same with a list along with the written statement

You should file your registered address and a memo of appearance when you enter appearance before the Tribunal either in person or by a Pleader/Advocate duly instructed.

Take notice that, in default of, your appearance on the day mentioned herein before, the proceeding will be heard and determined in your absence Given under my hand and the seal of this Tribunal on this -30/11/2017. (A. Murali)



Registrar, I/C Mumbai Debts Recovery Tribunal-l

DEF-3 Mrs. Preeti Jena, At-Flat No.A/103, RNA Heights Co-op. Housing Society Ltd... JVLR, Next to Kalpataru Estate, Andheri (East). Mumhai-400 093. Also At-Flat No. 13, 1st Floor, C-Wing, Building No. 1, Kalapataru Estate Complex, Opp. Fantacy Land, Near Majas Depot. Jogeshwari Vikhroli Link Road, Andheri (East), Mumhai-400 093. Also At-BC-1, Rose Wood Apartment, Mayur Villa-I, New Delhi-110 091 DEF-4 Mr. H. P. Appannachari At-Hoodi Village. Mahadevapura. Bangalore-560048, Karnataka.

Second Extension Tender Notice NIT NO:-32/PR/BSPHCL/2017 PR No.-8370 For Selection of Bidder for Appointment of a HR Agency for recruitment of various post through online examination for BSP(H)CL. (Through e-procurement mode only- www.eproc.bihar.gov.in) The last date for submission of Tender is hereby extended -Period of Sale/download of RFP Up to 21.12. 2017 (up to 13:00 Hrs.) through website www.eproc.bihar.gov.in Submission of RFP in soft-copy Up to 27.12.2017 (up to 15:00 Hrs.) DD of Rs. 2,000.00 (Rupees two thousand) only will be deposited as cost of BOQ & for EMD Rs. through website www.eproc.bihar.gov.in 25,000.00 (Rs. Twenty Five Thousand) only DD in favour of "Accounts Officer, BSP(H)CL, Patna in a separate envelope before last date of opening of Technical & Commercial Part. Date of opening of Technical & 28.12.2017 at 16:00 Hrs. Commercial Part: Date of opening of Price Part: To be notified after Technical Bid Evaluation (www.eproc.bihar.gov.in_) For details kindly visit website - www.bsphcl.bih.nic.in and www.eproc.bihar.gov.in "विवादों के निष्पादन के लिए लोक अदालत का लाम उठावें।"
"परस्पर सहमति से न्यायिक निर्णय करें।" "समय एवं खर्च की बचत करें।"

PR. 10853 (Ni Ni) 2017-18 अओ सब मिलकर बात करें, बंद हो दहेज, शुरूआत करें।

उप्र, हरियाणा और राजस्थान कुंभकरण की तरह सो रहे थेः उच्चतम न्यायालय

उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सरकारें अभी तक कंभकरण की तरह सो रही थीं और अब वे उनके राज्यों में पेट कोक और फर्नेस आयॅल के उपायोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश देने के लिए न्यायालय पर दोष मढ रही हैं। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने इन राज्यों द्वारा ऐसा माहौल बनाने पर कडी आपत्ति की कि शीर्ष अदालत ने उन्हें नोटिस दिए बगैर ही यह आदेश पारित किया। नाराज पीठ ने कहा कि क्या इन राज्यों को नींद से जगाने का काम

लिए अगले साल दस जनवरी तक एक

वेबपोर्टल तैयार किया जाए। न्यायमुर्ति

मदन बी लोक्र और न्यायमूर्ति दीपक

इस संबंध में एक पोर्टल बनाया गया है

जो एक महीने के भीतर तैयार हो

जाएगा। इस पोर्टल के इस्तेमाल के

लिए एक मानक प्रक्रिया भी तैयार की

जा रही है। पीठ ने कहा कि यही उचित

समय है जब केन्द्र पोर्टल तैयार करे और

जनता के उपयोग के लिए इसे उपलब्ध

कराए। पीठ ने अपने आदेश में कहा,

2015 के हलफनामें से हमें पता चलता

उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि अतिरिक्त सालिसीटर जनरल ए एन एस नाडकर्णी ने तुरंत ही जवाब दिया कि केन्द्र ने ऐसा कछ नहीं कहा है परंतु वही कहा है जो इन राज्यों ने पेट कोक और फर्नेस आयॅल के उपयोग पर प्रतिबंध के मसले पर अपने प्रतिवेदन में कहा है। पीठ ने कहा, वे ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ए नोटिस के बगैर हुआ। उन्होंने न्यायालय पर दोष मढने के आरोप लगाना शुरू कर दिया है जिबक वे खुद कुंभकरण की तरह सो रहे थे। रामायण की कथा में रावण का छोटा भाई कुंभकरण एक बार में छह महीने तक सोता रहता था। राजस्थान की ओर से अतिरिक्त पीठ ने इस मामले में केन्द्र के सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा हलफनामें का अवलोकन करने के कि वह इस मामले को देखेंगे और बाद जानना चाहा, किस आधार पर पीठ को आश्वासन दिया कि यह अंश आप कह रहे हैं कि उन्हें नोटिस दिए वापस ले लिया जाएगा। हरियाणा और मिनट प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया बगैर ऐसा किया गया? यदि राज्य उत्तर प्रदेश के वकीलों ने भी कहा कि ताकि राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त सरकारें सो रहीं हों. तो क्या उन्हें वे इस संबंध में अपने हलफनामे

एवं वन मंत्रालय की ओर से उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने स्वेच्छा से हलफनामे दाखिल करके इस तथ्य को हटाने की बात कही है कि 24 अक्तबर का आदेश इन राज्यों को नोटिस दिए बगैर ही पारित किया गया था। पीठ ने इसके साथ ही उन्हें दो सप्ताह के भीतर हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ ने टिप्पणी की कि जब उसने 24 अक्तूबर को इन राज्यों में एक नवंबर से पेट कोक और प्रदेश और राजस्थान की ओर से कोई भी वकील पेश नहीं हुआ था। शीर्ष अदालत ने 24 अक्तबर के अपने आदेश में यह भी लिखा था. उत्तर कोई प्रतिनिधि उपस्थित है। हरियाणा की ओर से पेश वकील ने हमसे दो



शिमला में महासू चोटी पर बर्फबारी का आनन्द लेते पर्यटक

यौन दुराचार के वीडियो के बारे में उच्चतम न्यायालय के एक और न्यायाधीश ने शिकायत के लिए पोर्टल बनाया जाए वकीलों के जोर से बोलने पर संयम खोया

नर्ड दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 10 जनवरी, 2018 तक या उससे पहले आज केन्द्र को निर्देश दिया कि बाल तैयार करने का निर्देश देते हैं। हम चाहते यौन दराचार, बाल पोर्नोग्राफी और हैं कि इस बारे में हुई प्रगति के संबंध एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार सामहिक बलात्कार के वीडियों के बारे में सनवाई की अंगली तारीख आठ उच्चतम न्यायालय के एक और में नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने के जनवरी को रिपोर्ट दी जाए। पीठ इस न्यायाधीश ने वकीलों के एक दसरे पर जोर से बोलने के प्रयास पर अपना सुनवाई कर रही थी। न्यायालय ने संयम खोया और मामले की सुनवाई याचिकाकर्ता के वकील के इस कथन से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि गुप्ता की पीठ को केन्द्र ने बताया कि का भी संज्ञान लिया कि इस पोर्टल का न्यायालय को अब ऐसे वकीलों से सख्ती से पेश आने की जरूरत है। पर्याप्त प्रचार होना चाहिए ताकि जनता इस पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सके। न्यायमर्ति ए के सीकरी और न्यायमर्ति अशोक भूषण की पीठ ने संकटग्रस्त न्यायालय ने केन्द्र की प्रगति रिपोर्ट पर गौर किया परंतु कहा कि दुर्भाग्य से पर्ल्स एग्रोटेक कार्पोरेशन लि से प्रगति रिपोर्ट के अवलोकन से पता संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करने चलता है कि यह स्थिति रिपोर्ट की से इंकार करते हुए इसे फरवरी के दूसरे बजाय टिप्पणियों सरीखी है। शीर्ष सप्ताह के लिए सूचीबद्ध कर दिया। अदालत हैदराबाद के गैर सरकारी न्यायालय में यह सब उस समय शरू इस मामला काफी लंबे समय से लंबित संगठन प्रज्जवला द्वारा 2015 में एक हुआ जब पीठ याचिकाकर्ता पर्ल्स है और सीबीआई के आठ अक्तूबर, पेन डाइव में दो वीडियो टेप के साथ एग्रोटेक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी की दलीलें सुन रही थी तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश एच एल और तभी प्रतिवादियों की ओर से एक है कि पोर्टल के माध्यम से शिकायत दत्तु को भेजे गए पत्र को जनहित दर्ज कराने के लिए कदम उठाए जा रहे याचिका के रूप में लेते हुए इस पर महिला वकील ने कथित रूप से हैं। इसलिए हम केन्द्र सरकार को इसे सुनवाई कर रही थी। काफी ऊंची आवाज में हस्तक्षेप

रहे न्यायमर्ति सीकरी ने कहा, जब एक वरिष्ठ अधिवक्ता बोल रहे हैं तो दूसरे वकील का जोर से बोलने का कोई तक नहीं है। मैं वैसे बहत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति हुं परंतु मुझे इस तरह की बहस से चिढ है। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, यह उचित समय है कि न्यायालयों को अनशासन और न्यायालय की कार्यवाही की मर्यादा बनाए रखने के लिए जोर से बोलने वालों के खिलाफ सख्ती करनी होगी। अदालतों में जोर से बोलने वाले वकीलों के खिलाफ सख्ती बरतने की आवश्यकता है।

इसके साथ ही पीठ ने इस मामले की सुनवाई फरवरी के दूसरे सप्ताह के लिए स्थगित कर दी और कहा कि यदि बार पर इस तरह से बहस की जाएगी तो वह मामले को नहीं सुनेगी। सिंघवी ने कहा कि पर्ल्स एग्रोटेक को इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए जब उसकी कोई

किया। इस पर पीठ की अध्यक्षता कर गलती नहीं है परंतु पीठ ने अपने आदेश से डिगने से इंकार करते हुए कहा कि इस पर फरवरी में सुनवाई होगी। दिसंबर सात को प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने भी ऊंची आवाज में बोलने वाले वकीलों को चेतावनी देते हुए कहा था कि, वह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि उन्वी आवाज में बोलना अयोग्यता और अक्षमता को दर्शाता पांच सदर्स्ड्य संविधान पीठ इस सवाल पर विचार कर रही थी कि क्या दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करने के बाद पारसी महिला अपनी धार्मिक पहचान गंवा देती है। पीठ राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मालिकाना हक प्रकरण और दिल्ली-केन्द्र विवाद पर सुनवाई के दौरान वकीलों के ऊंची आवाज में बोलने से खिन्न थी।

जीएसटीएन पर मोदी ने मेरी दो मांगें पूरी कीं: स्वामी

बेंगलरू। भाजपा नेता सब्रमण्यम स्वामी ने आज दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटीएन के संदर्भ में उनकी दो मांगों को पूरा किया। स्वामी ने कहा, प्रधानमंत्री ने मेरी दो मांगें पूरी कीं। एक मांग यह थी कि कैग को माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के ऑडिट की स्वीकृति प्रदान की जाए। दूसरी मांग यह थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय को जीएसटीएन की जांच करने को कहा जाए। जीएसटीएन एक गैर लाभकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में कर संग्रह और रिटर्न भरने के लिए प्रौद्योगिकी आधार प्रदान करता है। इंफोसिस ने इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया है। बीते अगस्त में मोदी को लिखे पत्र में स्वामी ने इसको लेकर कड़ी आपत्तियां जताई थीं कि संप्रग सरकार के समय गठित कंपनी में निजी इकाइयों की बहलांश हिस्सेदारी होगी। उन्होंने मोदी से आग्रह किया था कि इसके स्थान पर सरकार के स्वामित्व वाली व्यवस्था लाई जाए।

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

(धारा 82 Cr.P.C. देखिये)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि **दलिप कुमार** पुत्र श्री खेता राम निवासी मकान नं. बी-441, भाग्य विहार, मदनपुर डबास, दिल्ली ने मुकदमा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 1197/14 घारा 323/341/34 मा.दं.सं. के तहत थाना अमन विहार, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त दिलप कुमार मिल नहीं रहा है, और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त दिलप कुमार फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 1197/14 घारा 323/341/34 मा.दं.सं. के तहत थाना अमन विहार, दिल्ली के उक्त अभियुक्त दिलप कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 12.03.2018 को या इससे पहले हाजिर हों।

> श्री अनुराग ठाकुर, महानगर दंडाधिकारी (उत्तर-पश्चिम-02), कमरा नं. 113, पहला तल, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली

गुमशुदा की तलाश

सर्व साधारण को सुचित किया जाता है कि एक लड़का जिसका नाम सूरज S/o श्री हरेन्दर दास R/o मं. नं. 18/22, मंदिर वाली गली, नरेश का मकान बाबा हरीदास कॉलोनी, टिकरी बॉर्डर, नई दिल्ली जो कि 22.10.2017 से क्षेत्र थाना मुंडका, दिल्ली से लापता है। इस बाबत FIR No. 287/17 u/s 363 IPC दिनांक 28-10-2017 थाना मुंडका, दिल्ली में दर्ज है। लापता लड़के का ब्यौरा इस प्रकार है: नाम: सूरज, पिता का नाम: श्री हरेन्दर दास, उम्र:

15 वर्ष, कद: 5'4", रंग: गोरा, चेहरा: लम्बा, पहचान चिन्ह: दिमाग से कमजार व पीठ पर चोट का निशान, जिसने स्लेटी रंग की टी-शर्ट, नीले रंग का लोवर तथा पैरों में भरे रंग की हवाई चप्पल पहनी है। अगर किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई जानकारी/सूचना मिले तो अधोहस्ताक्षरित एवं निम्नलिखित नम्बरों पर सूचित करने की कृपा करें।

वेबसाइट: http://cbi.nic.in ई-मेल: cic@cbi.gov.in फैक्स नं.: 011-24368639 थाना: मुंडका, दिल्ली फोन नं.: 011-24368638, 24368641 मो.: 8586 932309, 8586932308, 8586932312, 7065036129 DP/276/OD/17

गुमशुदा / अपहृत

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक लड़की, जिसका नामः काजल, पुत्रः श्री सुरेन्द्र, पताः ए-9सी, अवंतिका एंक्लेव, रोहिणी दिल्ली, जो दिनांक 21.11.2017 से थानाक्षेत्र मंगोलपुरी, दिल्ली, से गुमशुदा / अपहृत है। इस बाबत FIR No. 1417/17 U/s 363 IPC, दिनांक 23.11.2017 से थाना मंगोलपुरी, दिल्ली, में दर्ज है। अनेक प्रयासों के बावजूद भी इस लड़की के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। गुमशुदा/अपहृत



नामः काजल, पुत्रः श्री सुरेन्द्र, पताः ए—9सी, अवंतिका एंक्लेव, रोहिणी दिल्ली, उम्रः 17 वर्ष, कदः 5' फीट, चेहराः गोल, रंगः गोरा, शरीरः पतला, पहनावाः महरून रंग की सलवार—सूट और पैरों में चप्पल। अगर इस गुमशुदा/अपहृत लड़की के बारे में कोई जानकारी मिले तो इसकी सूचना थाना मंगोलपुरी, दिल्ली, को दें।

Ph.: 011-24368638, 24368641 DP/368/OD/17.

लड़की का ब्योरा इस प्रकार है:

थानाध्यक्ष थाना, मंगोलपुरी, दिल्ली, फोनः 011-27921168, 27922186

पेज एक का शेष

बैंकों में...

यह विधेयक अगस्त में लोकसभा कर आवश्यक कार्वाई की जाए। कल एक गजट अधिसचना के एस्टेट फर्म का प्रबंधन अपने हाथ में पेश किया गया था और इस इसमें कहा गया, इसके अलावा, जिए 31 दिसंबर, 2017 की में लेने की अनुमित दे दी। इससे समय संयुक्त संसदीय समिति के गुजरात के दूसरे चरण के मतदान समयसीमा को वापस लिया गया पहले, उच्चतम न्यायालय कल विचाराधीन है। इस विधेयक में वाले जिलों में इस तरह के चुनावी था। भारत विशिष्ट पहचान युनिटेक लिमिटेड की उस अपील कहा जा रहा है कि वित्तीय संस्थानों मामलों का प्रदर्शन कर धारा प्राधिकरण (यूआईडीएआई) 12 जैसे कि बैंकों, बीमा कंपनियों और 126(1)(बी) का उल्लंघन करने अंक की बायोमीट्रकि आधार गैर-बैंकिंग संस्थानों के दिवालिया वाले ऐसे टीवी चैनलों को इस होने की स्थिति में एक समाधान निगम बनाने का प्रस्ताव है। यह का निर्देश दिया जाता है। चनाव निगम परी प्रक्रिया पर नजर रखेगा आयोग ने कहा कि उसे आज इस और ऐसे संस्थानों को दिवालिया तरह की रिपोर्ट और शिकायतें होने से बचाने के लिए कदम मिली थीं कि गुजरात में कुछ टीवी उठाएगा। इसके लिए वह इन चैनलों ने राहुल द्वारा दिए संस्थानों की देनदारी को समाप्त साक्षात्कार को प्रदर्शित किया कर सकता है। इसे प्रावधान को जिसमें राज्य चुनावों के बारे में बात बेल-इन का नाम दिया गया है।

जब राहुल...

और मनमोहन सिंह को इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्यों आनंद शर्मा और रणदीप सुरजेवाला इस बात से इंकार करते रहे कि पाकिस्तानी नेता के साथ कोई बैठक हुई थी। और बाद में सम्मानीय मनमोहन सिंह ने यूटर्न क्यों लिया और घोषित किया कि का खुलासा हो गया तब सम्माननीय मनमोहन सिंह जी ने संबंधों पर चर्चा हुई। उन्होंने इस जरूरी क्यों नहीं समझा?

राहुल के...

में चुनाव आयोग के कानूनी निर्देशों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन

के मतदान वाले जिले में उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज प्रकार के मामलों को तुरंत रोकने

गुजरात में...

क्योंकि मुझे वहां जाना अच्छा

मनमोहन ने...

बैठक हुई थी। जब इस गुप्त बैठक पहले चरण के तहत नौ दिसंबर को मतदान हो चुका है। चुनाव के परिणाम 18 दिसंबर को घोषित प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगने बारे में भारत सरकार को बताना को कहा है। इससे पहले आज मनमोहन एवं मोदी का आमना-सामना 2001 के संसद हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने प्रतिनिधित्व कानून 1951 की के कार्यक्रम में हुआ था जहां दोनों

सरकार ने...

के बारे में चुनाव आयोग से शुरू करने के लिए आधार या पैन शिकायत की थी। आयोग ने टीवी या फॉर्म 60 देने की अनिवार्य समाचार चैनलों से राहल गांधी का तारीख 31 मार्च, 2018 या खाता साक्षात्कार का प्रसारण तुरंत रोकने खोलने के छह माह के भीतर जो को कहा क्योंकि उन्होंने चुनाव भी बाद में हो, होगी। यह तारीख कानुनों का उल्लंघन किया है। बढ़ाने का फैसला बैंकों से इस बारे आयोग ने गुजरात के चुनाव में मिली सूचना के आधार पर अधिकारियों से कानूनी प्रावधानों किया गया है। इससे पहले केंद्र ने में हस्तक्षेप करने वाले किसी के पिछले सप्ताह उच्चतम न्यायालय भी खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को सूचित किया था कि वह को कहा है। आयोग के प्रेस बयान विभिन्न सेवाओं और समाज में कहा गया कि समुचित विचार कल्याण योजनाओं का लाभ लेने निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया समयसीमा को बढाकर 31 मार्च,

जाता है कि गुजरात के दूसरे चरण 2018 करने की इच्छक है। सात दिसंबर को पैन को आधार से जोडने की समयसीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 मार्च, 2018 की गई है। है। एनसीएलटी ने केंद्र को रीयल संख्या जारी करता है। वहीं पैन आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। फॉर्म 60 उस व्यक्ति (कोई कंपनी नहीं) द्वारा की गई घोषणा होता है जिसके पास पैन नहीं है और वह कोई लेनदेन करता

अमरनाथ गुफा...

वर्ष 18 जनवरी को होगी। उल्लेखनीय है कि नवम्बर में एनजीटी ने पवित्र गुफा के दर्शन के अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस चुनाव प्रचार के दौरान मंदिरों में लिए आने वाले तीर्थयात्रियों को उनके जाने के बारे में पूछे जाने पर समुचित आधारभूत सुविधाएं कांग्रेस नेता ने सवाल करते हुए उपलब्ध नहीं कराने के लिए पुछा, क्या मंदिरों में जाने पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड की खिंचाई प्रतिबंध है ? मैं मंदिरों में जाता हं करते हुए कहा था कि वह समचित ढंग से दर्शन करने से लोगों को वंचित नहीं कर सकता है।

राजधानी में...

अपने बच्चों को यह नहीं बताया कि वह क्या काम करते हैं लेकिन हालात की मजबूरी है कि कहा कि बैठक में भारत पाकिस्तान किए जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री ने उन्हें यह काम करना पडता है। क्योंकि वह अपने बच्चों को रोजी-रोटी के साथ बेहतर स्कूल में पढाना चाहते हैं। शायद ये बच्चे पढ़-लिख कर उन्हें इस काम से छुटकारा दिला सकें। यही बात वर्षों से उनके साथ काम करने धारा 126(1)(बी) और इस संबंध ने एक दूसरे का अभिवादन किया। वाले सुरेंद्र कुमार भी कहते हैं। वह बताते हैं कि सीवर सफाई कर्मी को एक दिन के लिए 200 से 300 किया है। भाजपा ने इन साक्षात्कारों ग्राहक द्वारा खाता आधारित संबंध रुपये ही मिलते हैं। दो साल पहले काम के दौरान सुरेंद्र भी बेहोश हो चुके हैं। सीवर सफाई करने वाले कर्मचारियों को बूट, हेलमेट, दस्ताने और मास्क समेत अन्य जरूरी उपकरण दिए जाने चाहिए लेकिन इन नियमों का बहुत कम पालन किया जाता है। इस साल 10 कर्मचारियों की मौत सीवर साफ करने के दौरान हो चुकी है। दिल्ली विधानसभा में इस मुद्दे पर काफी हंगामा हुआ था और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विमर्श के बाद गुजरात के मुख्य के लिए आधार को जोड़ने की हाथ से सफाई पर सवाल उठाया

यनिटेक को...

जो की एक तरह से अंतिम आदेश पर आज सुनवाई के लिए सहमत हो गया था जिसमे केंद्र को रीयल एस्टेट फर्म का प्रबंधन अपने हाथ में लेने की अनुमित देने के न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी गई है। एनसीएलटी ने आठ दिसंबर को यूनिटेक लि के सभी आठ निदेशकों को, कुप्रबंधन तथा धन की हेराफेरी के आरोपों की वजह से निलंबित कर दिया था और केंद्र को यह अधिकार दिया था कि वह बोर्ड में अपने दस सदस्य नामित करे। एनसीएलटी ने यह आदेश तब दिया जब केंद्र घर खरीदने वाले करीब 20.000 लोगों के हितों की रक्षा के मद्देनजर न्यायाधिकरण से अनुरोध किया

ब्रह्मपुत्र का जल काला क्यों: पीएम

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विदेश मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय से ब्रह्मपुत्र का जल काला पड़ने का कारण पता लगाने और इसके उपचारात्मक कदम उठाने को कहा। असम सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री ने यह निर्देश अपनी अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में दी जिसमें केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अरुण जेटली, असम के मख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने हिस्सा लिया। मोदी ने सोनोवाल को आश्वस्त किया कि केंद्र पहले ही ब्रह्मपुत्र नदी के जल के काला होने की घटना को गंभीरता से ले रही है और केंद्रीय जल आयोग इस मामले को देख रहा है और साथ ही जल संसाधन मंत्रालय को मामले में युद्धस्तर पर उपचाासत्मक कदम उठाने को कहा। ब्रह्मपुत्र नदी के मुद्दे को कई देशों से जुड़े होने को देखते हुए प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्रालय से भी इस विषय को संबंधित देश के साथ उठाने को कहा और इसके कारणों का पता लगाने एवं एक सकारात्मक समाधान निकाले को कहा।

एके-४७ राइफल केसाथ भाजपा नेता की तस्वीर वायरल

जम्मू। जम्मू कश्मीर भाजपा इकाई के एक नेता मुश्किलों में घिरे दिखे जब सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो गई जिसमें वह एक-47 राइफल के साथ दिख रहे हैं। इसके बाद पार्टी ने खुद को उनसे अलग कर लिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा, वह पार्टी के सिक्रय सदस्य नहीं हैं। आशीष सरीन ने कल फेसबुक पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वह एके-47 राइफल के साथ दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस तस्वीर को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कुछ ने तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई तक की

PUBLIC NOTICE

Swamjeet Singh Malhotra S/o Sh. Mangal Singh Malhotra R/o H NO F-5 MUKHRAM GARDEN NEAR tered into an agreement to sell with Mr. Ravindr Singh S/o Late Shri Raldey Singh R/o AC-11 GANGA TILAK NAGAR NEW DELHI to purchase the property wned by him as described in the schedule below

CHOWKHNADI CHOWK TILAK NAGAR

NEW DELHI
All persons claiming an interest in the said property
as described in the schedule above or any part ereof by way of sale, gift, lease, inheritance change, mortgage, charge, lien, trust, possessi sement, attachment or otherwise howsoever are ereby required to make the same known to the undersigned along with documentary proof of the same within 7 days from the date of its publication. failing which the said sale will be completed, withou rence to such claim/objection and the same

PUBLIC NOTICE This is to inform public in

general that Kotak Mahindra bank Itd has organized an auction in below mention **VEHICLE FOR SALE**

1)TATA LPT 1109 UP16T6185-YOM 2010 2) ASHOK LEYLAND **ECOMET 1212 FB**

3) TATA 1610 BUS UP22T7093-YOM 2009 4) TATA 1613 SE HR55Q3288-YOM 2012 5) EICHER 1075

HR38W5965-YOM 2016

DL1LW3281-YOM 2015 6) TATA 2518 HR55J4660-YOM 2009 UNDER HYPOTHECATION WITH M/S KOTAK MAHINDRA BANK

IS UNDER SALE IN ITS INTERESTED PARTIES CAN GIVE THEIR QUOTATIONS WITH IN 07 DAYS AT BRANCH ADDRESS:

PLOT NO.7 INSTITUTIONAL AREA SECTOR-125 NOIDA NEAR DELL CAMPUS NOIDA (U.P) OR CONTACT : RAMAN JOSHI KOTAK MAHINDRA BANK LTD CONTACT / 01206173343 EMAIL raman.joshi@kotak.con

स्थान : बेंगलुरू

एटलस ज्वैलरी इंडिया लिमिटेड

सीआईएन : L74140DL1989PLC131289

ई—मेल ः info@atlasjewelleryindia.com, फोन ः 011-41041149/ 40541077, वेब ः www.atlasjewelleryindia.com 30 सितम्बर, 2017 को समाप्त द्वितीय तिमाही और अर्द्ध वर्ष हेतु पृथक्कृत अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

		तिमाही	वर्ष से तिथि	पूर्व वर्ष में
		समाप्त	समाप्त	समाप्त
				संगत तिमाही
क	विवरण	30 सितम्बर,	30 सितम्बर,	30 सितम्बर,
स.	1443	2017	2017	2016
		(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	155.11	322.87	150.19
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि)	34.69	(104.59)	(352.39)
	(कर, अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों से पहले)			
3	अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि), कर से पहले	8.01	(131.27)	(352.39)
	(अपवाद तथा / अथवा असाधारण मदों के बाद)			
4	अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि), कर पश्चात	14.55	(151.01)	(337.00)
	(अपवाद तथा / अथवा असाधारण मदों के बाद रु)			
5	अविध हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अविध हेतु लाम/(हानि)	14.55	(151.01)	(337.00)
	(कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित हैं]			
6	इक्विटी शेयर पूंजी	10065.45	10065.45	10065.45
7	संचेय (पुनर्मूल्यन संचेय छोड़कर) जैसाकि पिछले वर्ष के तुलनपत्र में			
	दर्शाया गया है			
8	प्रति शेयर अर्जन (अंकित मूल्य रू. 10/– प्रत्येक)			
	(असाधारण मदों से पहले और उनके बाद) —			
	1. मूल :	0.01	(0.15)	(0.33)
	2. तनुकृत :	0.01	(0.15)	(0.33)

(1) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाए) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्जेज में प्रस्तृत किए गए 30 सितम्बर, 2017 को समाप्त द्वितीय तिमाही और अर्द्ध वर्ष हेतु पृथक्कृत वित्तीय परिणामों का सारकित रूप है। पृथक्कृत वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट www.bseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट www.atlasjewelleryindia.com पर उपलब्ध है।

(2) 30 सितम्बर 2017 को समाप्त दितीय तिमाही और अर्द्ध वर्ष हेत त्यरोक्त प्रथक्कत अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम लेखापरीक्षा समिति द्वारा पुनरीक्षित एवं संस्तुत किए गए हैं तथा कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा मंगलवार, 12 दिसम्बर, 2017 को सम्पन्न बोर्ड बैठक मे अनुमोदित किए गए हैं। वित्तीय परिणाम भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी–एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं, जैसाकि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के साथ पठित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (यथा संशोधित) के अधीन निर्धारित

(3) सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाए) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 की अपेक्षानुसार, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा 30 सितम्बर 2017 को समाप्त द्वितीय तिमाही और अर्द्ध वर्ष हेतु उपरोक्त पृथक्कृत अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पुरनीक्षण किया गया है। (4) 30 सितम्बर, 2017 को समाप्त द्वितीय तिमाही और अर्द्ध वर्ष के साथ संबंधित आईएनडी एस अनुसारी वित्तीय परिणामों का पुनरीक्षण व लेखापरीक्षा नहीं की गई है। तथापि, प्रबंधन द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सम्यक् सतर्कता बरती गई है कि ये वित्तीय

परिणाम इसके कार्यों की सही एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। (5) विवरण में 31 मार्च, 2017 को समाप्त पूर्ववर्ती वर्ष हेतु आइएनडी एएस अनुवर्ती परिणाम सम्मिलित नहीं हैं क्योंकि सेबी के परिपत्र दिनांक 05 जुलाई, 2016 के अनुसार ये अनिवार्य नहीं हैं।

(6) यहाँ एक संभावना है कि एमसीए द्वारा निर्गमित नवीन या संशोधित मानक विवेचन से उत्पन्न वित्तीय प्रतिवेदन आवश्यकताओं में परिवर्तन अथवा आईएनडी एएस—101 के अन्तर्गत अनुमत्यानुसर पूर्ण पूर्वव्यापी आवेदन से एक या अधिक वैकल्पिक छूटों के प्रयोग में परिवर्तन के कारण अब तक और 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु अंतिम आईएनडी एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने से पूर्व इन तिमाही वित्तीय परिणामों में समायोजन की आवश्यकता है। कम्पनी का राजस्व का केवल एक खण्ड है।

लेखा—परीक्षकों ने निर्यात व्यापार प्राप्य राशियों पर अपेक्षित ऋण हानि की गैर—मान्यता के संबंध में अवलोकन किया है। अतः प्रबंधन क यह मत है कि व्यापारिक प्राप्य राशियों के समक्ष कम्पनी द्वारा दर्ज वसूली वाद को देखते हुए तथा इसके अलावा इन व्यापारिक प्राप्य राशियों से वसूलीकरण की मात्रा एवं समय-सीमा के संबंध में अनिश्चितता का विचार करते हुए, मान्यताप्राप्त हेतु आवश्यक अपेक्षित ऋण हानि की राशि का प्राक्कलन नहीं किया जा सकता। इसे तब ही उपलब्ध कराया जाएगा, जब इन निर्यात व्यापार प्राप्य राशियों से वसुलीकरण की समय-सीमा तथा मात्रा के संबंध में सूचना सुनिश्चित हो सकेगी।

(9) भूतपूर्व जीईई ईएल वूलन्स लिमिटेड (वर्तमान में एटलस ज्वैलरी इंडिया लिमिटेड) द्वारा उपलब्ध इंडोरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड तथा कार्नेशन कमोडिटीज प्रा. लिमिटेड से संबंधित ऋण तथा अग्रिम। कम्पनी का वर्तमान प्रबंधन इन पुराने ऋणों/अग्रिमों की वसूली करने हेतु सभी कार्रवाईयां कर रहा है और प्रबंधन इस संबंध में जीईई ईएल वूलन्स लिमिटेड के भूतपूर्व प्रवर्तकों तथा निदेशक मण्डल को सूचनाएं भी जारी कर चुका है। प्रबंधन को आशा है कि वह इन पुरानी बकाया राशियों की वसूली कर लेगा और इसलिए वह दोनों उक्त पक्षों को सूचनाएं जारी कर चुका है। कम्पनी वसूली करने हेतु उचित समझ के अनुसार कानूनी विवादों पर विचार कर रही है/अन्य समुचित कार्रवाईयां कर

(10) 30 सितम्बर, 2016 को समाप्त तिमाही और अर्द्ध वर्ष हेतु आईएनडी–एएस के अनुसार कुल समावेशी आय तथा पूर्व में प्रतिवेदित (जीएएप्

के रूप में संदर्भित) शुद्ध लाभ / (हानि) का मिलान विवरण नीचे तालिका में दिया गया है :	(रू. लाख में)
विवरण	30 सितम्बर, 2016 को समाप्त अर्द्ध वर्ष
कर पश्चात लाम, भारतीय जीएएपी के अनुसार	(360.38)
। ऋणशोधित लागत पर वित्तीय आस्तियां तथा देयताओं का प्रभाव	(0.22)
ii) ऋणशोधित लागत पर वित्तीय आस्तियां तथा देयताओं का प्रभाव	0.07
कर पश्चात लाम, आईएनडी एएस के अनुसार	(360.53)
अन्य समावेशी आय (कर सम्मिलित नहीं)	
कुल समावेशी आय, आईएनडी एएस के अधीन प्रतिवेदित अनुसार	(360.53)

(11) पूर्व अविध के आंकड़े, उन्हें तुलनीय बनाने के लिए, आवष्यकता के अनुरूप पुनरसमूहित / पुनरव्यवस्थित किए गए हैं। वास्ते एटलस ज्वैलरी इंडिया लिमिटेड

नन्दाकुमारन पुथेझथ

तिथि : 12 दिसम्बर, 2017 डीआईएन : 025476<mark>19</mark>